

कार्यालय लोक सेवा आयोग, उ.प्र.
संख्या- 01/02/ई-5/2020-2021
प्रयागराज-दिनांक 06 जनवरी, 2021

विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या-ए-1/ई-1/2020 दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के द्वारा विज्ञापित सहायक वन संरक्षक (A.C.F.) एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी (R.F.O.) सेवा परीक्षा-2020 की प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 11.10.2020 को आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 21 नवम्बर, 2020 को घोषित किया, जिसमें कुल 180 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सफल घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने परम्परागत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> के 'Home page' पर "Fill online details for A.C.F./R.F.O Services (Main) Exam-2020" पर Click करके Registration No. एवं जन्मतिथि व अन्य आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन फार्मेट पर भरने के पश्चात मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करें।

2-मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15.01.2021 है। शुल्क जमा करने हेतु "Click here to pay the required fee for Main Examination" को click करें। इसके पश्चात S.B.I. MOPS का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:-

- I. S.B.I. MOPS के Portal से S.B.I. अथवा 55 अन्य बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन करना होगा।
- II. चयन किये गये बैंक के द्वारा Debit/Credit/Net Banking/Mobile Banking द्वारा SBI Buddy के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- III. उपरोक्त बिन्दु-1 की सुविधा न होने पर S.B.I. का ई-चालान मुद्रित करके नगद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है।

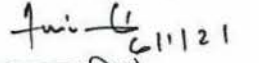
3-निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली-भाँति अध्ययन करने के उपरान्त उसका पालन करते हुये प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं (जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, निवास, श्रेणी अनिवार्य तथा वॉछनीय अर्हता इत्यादि) भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर "SAVE/SUBMIT" कर लें। उपर्युक्त परीक्षा केवल प्रयागराज में आयोजित की जायेगी। सभी अभ्यर्थी प्रदर्शित फार्मेट पर दो वैकल्पिक विषयों को सेलेक्ट (Select) करें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त वॉछित सूचनायें दिनांक 15.01.2021 तक सही-सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन "SAVE/SUBMIT" फार्म की प्रति को मुद्रित कर लें।

ऑनलाइन फार्म सेट "SAVE/SUBMIT" करने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन (EDIT) आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> के 'Home page' पर प्रदर्शित विकल्प "Click here to modify Online details after submission for A.C.F./R.F.O Services (Main) Exam-2020" पर क्लिक करके कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 15.01.2021 तक उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र के प्रारूप की PDF File वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4-ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र (Form Set) को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नकों यथा-1-हाईस्कूल, अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र, 2-इण्टरमीडिएट, अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र, 3-स्नातक, अंक पत्र (प्रत्येक वर्ष का) एवं प्रमाण-पत्र, 4-सरकारी सेवक/कार्मिक की स्थिति में सेवा योजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति, 5-आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित प्रारूप पर अद्यतन जाति प्रमाण-पत्र (गोंड एवं नायक अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना न हो।), की स्वप्रमाणित प्रतियाँ एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची (Address Slip) चस्पा कर दिनांक 22.01.2021 को 5.00 बजे अपराह्न तक अथवा उसके पूर्व सचिव, उ० प्र० लोक सेवा आयोग (परीक्षा अनुभाग-5), 10-कस्तूरबा गाँधी मार्ग, प्रयागराज-211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या-3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउन्टर (पूँछ-ताँछ काउन्टर) पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5-इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किये जायेंगे, परन्तु उसके साथ निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

6-अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन किये गये दावों के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यदि भिन्न तथ्य पाये जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन मा. आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।


(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक।

सहायक वन संरक्षक (A.C.F.)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (R.F.O.)
(मुख्य) परीक्षा-2020

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश।

सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (मुख्य) परीक्षा-2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं सूचनाएं निम्नवत् हैं। वे आवेदन-पत्र भरते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखें:-

1. प्रश्नगत परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्या-ए-1/ई-1/2020 द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित कराया गया था।
2. विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र सबमिट (Submit) करने की अन्तिम तिथि 21. मई, 2020 तक शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
3. मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारम्भिक परीक्षा में था।
4. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं (स्नातक/परास्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका) की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में उन्हें संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
5. अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
6. मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200/- एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/= कुल रु0 225/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 80/- एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- = कुल रु0 105/- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करेंगे परन्तु विकलांग अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- ही जमा करेंगे। परीक्षा शुल्क एस.बी.आई./पी.एन.बी. में ई-चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा। ई-चालान के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट बैंक से प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसकी प्रविष्टि अपने मुख्य परीक्षा के ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेंगे तथा उक्त जमा की गई ई-चालान के प्रिंट आउट की प्रति आयोग को अन्य दावों के संबंध में प्रेषित किए जाने वाले प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के साथ लिफाफे में भरकर प्रेषित करेंगे। अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
7. मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे। अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई भी दो विषय चुनने हैं। प्रत्येक वैकल्पिक विषय में दो प्रश्न-पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न-पत्र अनिवार्य (सामान्य अध्ययन को छोड़कर) तथा वैकल्पिक विषय हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे हैं। सामान्य अध्ययन के दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, इसके लिए निर्धारित समय दो घण्टे हैं। वैकल्पिक विषय के प्रश्न-पत्रों हेतु अधिकतम अंक उनके सम्मुख अंकित हैं:-

(अ) अनिवार्य विषय			
क्र०सं०	विषय	प्रश्न-पत्र की प्रकृति	अधिकतम अंक
1.	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध	परम्परागत	200
2.	सामान्य अध्ययन (प्रथम प्रश्न पत्र)	वस्तुनिष्ठ	200
3.	सामान्य अध्ययन (द्वितीय प्रश्न पत्र)	वस्तुनिष्ठ	200

(ब) वैकल्पिक विषय			
1.	वैकल्पिक विषय-I (प्रथम प्रश्न पत्र)	परम्परागत	200
2.	वैकल्पिक विषय-I (द्वितीय प्रश्न पत्र)	परम्परागत	200
3.	वैकल्पिक विषय-II (प्रथम प्रश्न पत्र)	परम्परागत	200
4.	वैकल्पिक विषय-II (द्वितीय प्रश्न पत्र)	परम्परागत	200

विषय	कोड सं.
कृषि विज्ञान	01
कृषि इंजीनियरिंग	02
वनस्पति विज्ञान	03
रसायन विज्ञान	04
रसायन इंजीनियरिंग	05
सिविल इंजीनियरिंग	06
वानिकी	07
भू-विज्ञान	08
गणित	09
यांत्रिकी इंजीनियरिंग	10
भौतिकी	11
सांख्यिकी	12
प्राणि विज्ञान	13
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	15
उद्यान विज्ञान	16
पर्यावरण विज्ञान	17

किन्तु वैकल्पिक विषयों में निम्नलिखित विषय समूह में से केवल एक विषय ही लिया जाना अनुमत्य है :-

ग्रुप-ए		ग्रुप-बी	
1.	कृषि विज्ञान	1.	गणित
2.	कृषि इंजीनियरिंग	2.	सांख्यिकी
3.	उद्यान विज्ञान		
ग्रुप-सी		ग्रुप-डी	
1.	रसायन विज्ञान	1.	कृषि इंजीनियरिंग
2.	रसायन इंजीनियरिंग	2.	रसायन इंजीनियरिंग
		3.	सिविल इंजीनियरिंग
		4.	यांत्रिकी इंजीनियरिंग

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वैकल्पिक विषयों के नाम एवं कोड परम्परागत आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर सही ढंग से अंकित करें । बाद में इसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

8. प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य अर्हता तथा अधिमानी अर्हता निम्नलिखित है:—
क्षेत्रीय वन अधिकारी—
अनिवार्य: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों में से दो या अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में या अभियांत्रिकी में या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारक हो ।
अधिमानी अर्हता— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा । जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो, या। (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (3) किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो ।
आवेदन-पत्र के साथ अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी वांछित अभिलेख अवश्य प्रस्तुत करें ।
9. सभी सेवाओं के लिए व्यक्तित्व परीक्षण 150 अंक का होगा ।
10. मुख्य परीक्षा प्रयागराज जनपद में आयोजित होगी । अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपना परीक्षा केन्द्र अंकित करना है । परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है तथा इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र/प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं है ।
11. अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता से संबंधित उपाधि, प्रमाण पत्रों, अंक-पत्रों, आरक्षण के दावे के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ 27.5 X 11.5 से.मी. साइज़ के दो लिफाफे जिन पर परीक्षा का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पूरा पता अंकित हो, संलग्न करें । नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की स्वप्रमाणित फोटो जिस पर अभ्यर्थी के दिनांक सहित पठनीय पूरे हस्ताक्षर हो, फॉर्मेट के निर्दिष्ट स्थान पर चस्पा करना है ।
12. अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी (रोमन लिपि) में दे सकते हैं। किन्तु किसी भी प्रश्न-पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त में से किसी एक ही लिपि में देना आवश्यक है, न कि अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर अलग-अलग लिपि में। प्रश्न पत्र के किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लिपि में देने वाले अभ्यर्थी अंकों की कटौती के रूप में दण्डित होंगे ।
13. अभ्यर्थी सभी स्तम्भ ठीक-ठीक भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।